कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
Ph. No. – 05966-297600 Email ID- cdpwdrkt@gmail.com
UTTARAKHAND

पत्रांक 1370 / 18सी0 दिनांक, रानीखेत, 21/07/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद अल्मोड़ा में द्वाराहाट–सुरईखेत मोटर मार्ग के किमी0 6.00 से बयेला नाइ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.417 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन **(Online Proposal no. FP/UK /ROAD/9364/2015)**

संदर्भः– कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 1323/12-1, दिनांक 04.11.2024 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 1541/18सी0, दिनांक 22.01.2025 व पत्रांक 154/18सी0, दिनांक 22.01.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में पुनः अवगत कराना है कि पत्र संख्या–8बी0/यू0सी0पी0/06/112/2015/एफ0सी0/1541, दिनांक 26.10.2018 के निर्देशानुसार प्रस्तावित स्थल की के0एम0एल0 फाईल के अनुसार प्रस्तावित मार्ग वन क्षेत्र की सीमा में समाप्त हो रहा है, के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग 8.00 किमी0 लम्बाई में स्वीकृत है, जिसमें बयेला की 275 जनसंख्या की सहमति के अनुसार ग्रामवासियों के खेती योग्य भूमि को कम से कम प्रभावित करते हुए मोटर मार्ग का सर्वेक्षण कार्य किया गया, जिस कारण मार्ग की लम्बाई अधिक होने से 8.00 किमी0 लम्बाई जंगल की सीमा में समाप्त हो गई। यह भी अवगत कराना है कि पूरे ग्रामीणों को मोटर मार्ग से जोड़ा गया, जिस कारण बीच के ग्रामों को जोड़ने मे 8.00 किमी0 लम्बाई जंगल की सीमा में समाप्त हो गई। अन्तिम ग्राम नाइ इस स्थान से लगभग 800 मी0 दूरी में पड़ता है। महोदय यह भी अवगत कराना है बयेला नाइ मोटर मार्ग किमी0 8.00 से बलना फल्द्वाड़ी होते हुए देवी मन्दिर के समीप मिलान मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण), लम्बाई–5.50 किमी0, लागत रू0 30.65 लाख की स्वीकृति प्राप्त है (प्रति संलग्न)। इस मार्ग का बयेला नाइ मोटर मार्ग के किमी0 8.00 (जहां पर बयेला नाइ मोटर मार्ग समाप्त होता है) से, ग्राम–नाइ बलना, फल्द्वाड़ी होते हुए देवी मन्दिर के समीप कोटिला–ग्वाड मोटर मार्ग में मिलान प्रस्तावित है। इस मार्ग के नवनिर्माण की कार्यवाही गतिमान है। इस मार्ग का निर्माण हो जाने पर बयेला नाइ मोटर मार्ग वन क्षेत्र की सीमा में समाप्त न होकर आगे कोटिला–ग्वाड़ मोटर मार्ग में मिल जायेगा।

यह मार्ग विधान सभा क्षेत्र, द्वाराहाट का अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग है, मार्ग के शीघ्र निर्माण हेतु ग्रामीणों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा बार–बार कहा जा रहा है एवं जल्द निर्माण न होने पर आन्दोलन करने की चेतावनी दी जा रही है। अतः अनुरोध है कि विषयक मोटर मार्ग हेतु विधिवत स्वीकृति प्रदान कराने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(इं0 दीप चन्द पाण्डे)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

पत्रांक / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
3. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।
5. सहायक अभियन्ता (प्रथम), निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।
6. खण्डीय अमीन, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

CDRKT:D/Ameen/EE Letter

संख्या [illegible] / III(2) / 18-48([illegible]) / 2017 टी.सी.

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक [illegible] दिसम्बर, [illegible]

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-[illegible] के अन्तर्गत विभिन्न 03 निर्माण कार्यों हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय [illegible] स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा विषयगत कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिनकी लम्बाई [illegible] कि0मी0 एवं लागत ₹ 110.64 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ **109.14 लाख (₹ एक करोड़ नौ लाख चौदह हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् कुल 03 कार्यों हेतु ₹ 0.30 लाख (₹ तीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i)- प्रथम स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदुपरान्त शासनादेश सं0-1714 / III(2) / 10-17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 20[illegible] की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट [illegible] शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट से स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय [illegible] सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला व्यय उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 एवं समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त [illegible] के वित्तीय मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराने [illegible] अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन के [illegible] भूमि अधिग्रहण [illegible] सम्बन्ध में यथावश्यक [illegible] अनुदान सं0-22 [illegible]-5054 [illegible] [illegible]-04 [illegible] [illegible]

[illegible] कुल निर्माण कार्य में निविदा ... के प्राविधानित ... पर ... धनराशि से किया जायेगा।

(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2019 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष आगामी वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय सुसंगत मद में बजट में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) [illegible] कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 0.10 लाख का बजट आवंटन वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-103/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, के अन्तर्गत आई0एफ0एम0एस0 आई0डी0 संख्या S1812220200 दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के द्वारा आहरण वितरण कोड सं0-4227 Chief Engineer PWD में जारी किया गया है।

(2) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- 337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-000-03-02 से (आयोजनागत) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-628/XXVII(2)/2018 दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या-812/III(2)/18-40(सा0ए0सा0)/2017 टीसी-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/अल्मोड़ा।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक- 2257 / 12–1 :दिनांक: 12-मार्च, 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय:– जनपद–अल्मोड़ा में द्वाराहाट–सुरईखेत मोटर मार्ग के किमी0 6 से बयेला नाड मोटर मार्ग के नर्माण हेतु 4.417 हे0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/9364/2015).

सदर्भ:– आपकी पत्र संख्या–3876/12–1(2), दिनांक 07–02–2025।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयक मोटर मार्ग में भारत सरकार के पत्र दिनांक 07.09.2017 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। भारत सरकार, के ई0डी0एस0 पत्र दिनांक 26.10.2018 के द्वारा चाही गई सूचना/विस्तृत आख्या आपके द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है। इस सम्बन्ध में अवगतनीय है कि आपके द्वारा उक्त आख्या को अपने स्तर से तैयार न करते हुये अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा प्रेषित पत्र को ही अग्रसारित कर दिया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार के ई0डी0एस0 आपत्ति दिनांक 26.10.2018 के सम्बन्ध में प्रकरण में विस्तृत जाँच आख्या अपने अभिमत/संस्तुति सहित इस कार्यालय को शीघ्रताशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु शीघ्र भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 2257 / 12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, रानीखेत।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Scanned with CamScanner

आवक सं० 7008
फाईल 18 (शि०)
दिनांक 05/12/24

कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1323 /12–1 :दिनांक 4 नवम्बर, 2024

पत्र सं० 5826
फाईल सं० 4 A1
दिनांक 03/12/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय:– जनपद–अल्मोड़ा में द्वाराहाट–सुरईखेत मोटर मार्ग के किमी0 6 से बयेला नाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.417 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/9364/2015).**

संदर्भ:– आपका पत्रांक 1723/12–1(2), दिनांक 09–10–2024

महोदय,

कृपया अपने उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रश्नगत प्रकरण पर सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 829/FP/UK/ROAD/9364/2015 दिनांक 22.09.2018 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को लिखा गया था। तत्पश्चात् भारत सरकार की पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./06/112/2015/एफ.सी./1541 दिनांक 26–10–2018 के निर्देशानुसार प्रस्तावित स्थल की के.एम.एल. फाईल के अनुसार प्रस्तावित मार्ग वन क्षेत्र की सीमा में समाप्त हो रहा है, जोकि सही प्रतीत नहीं हो होता है। उक्त प्रकरण की जाँच आख्या/विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1190/FP/UK/ROAD/9364/2015 दिनांक 02.11.2018 प्रभागीय वनाधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, रानीखेत को लिखा गया था। (प्रति संलग्न) प्रश्नगत प्रकरण पर भारत सरकार द्वारा चाही गई वांछित जाँच आख्या/विस्तृत रिपोर्ट अतिथि तक इस कार्यालय को अप्राप्त है।

अतः विषयांकित प्रकरण आपके स्तर से लम्बित चला आ रहा है। भारत सरकार द्वारा चाही गई वांछित जाँच आख्या शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर प्रकरण से सम्बधित वांछित सूचना/सुस्पष्ट आख्या तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–यथोपरि।

2k पत्र संख्या 5826 / 4 A1 दि0 03/12/24
पत्र निर्माण ... के समक्ष
प्रेषित

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या:– 1323 /12-1 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

AE 7/II/3...

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

CS Scanned with CamScanner